(5)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2072–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–06–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 105/अ–12/2013–14.

.....

1– राकेश
2– राजू
3– शंकर
4– अशोक पुत्रगण बटटोराम चौरसिया
निवासीगण ग्राम नरवर तहसील नरवर
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– यशोदा देवी पत्नि लक्ष्मीनारायण वैश्य
2– प्रदीप
3– प्रवीण पुत्रगण लक्ष्मीनारायण वैश्य
निवासीगण बार्ड कं 7 बडे जैन मन्दिर के सामने
तहसील नरवर जिला शिवपुरी (म0प्र0)

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री धमेन्द्र द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 21/9/15 को पारित )

यह निगरानी, आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार नरवर

जिला शिवपुरी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–06–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा सर्वे कमांक 54 रकवा 0.26 एवं 57/2 रकवा 0.63 के सीमांकन हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 105/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 20–6–14 के द्वारा सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण की। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकों के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रकरण में आवेदकगण को पक्षकार बनाये बिना एवं सीमावर्ती कृषकों को बिना सूचना दिये सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। प्रकरण में किसी प्रकार सूचना पत्र संलग्न नहीं है। बंदोबस्त पूर्व ग्राम शेरगढ़ का नक्शा वर्ष 1972–73 सर्वे नम्बर 22 रकबा 2.99 है0 पर आवेदक के दादाजी के समय से खेती कर उपयोग करते चले आ रहे हैं। यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार ने सीमांकन की कार्यवाही राजस्व निरीक्षक को पत्र जारी करने के आदेश दिये थे, परन्तु सीमांकन की कार्यवाही राजस्व अधिकारी द्वारा संपादित न की जाकर पटवारी द्वारा संपादित की गई है जिसकी तहसीलदार द्वारा पुष्टि करने त्रुटि की है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक अभिभाषक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि सीमांकन की कार्यवाही में विधिवत सूचना देने के उपरांत सीमांकन की कार्यवाही संपादित की गई। सीमांकन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण तहसीलदार द्वारा सीमांकन की पुष्टि की गई है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अनावेदकों द्वारा सीमांकन हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने दिनांक 4–5–13 को प्रकरण अंकित करने राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु पत्र जारी करने के आदेश दिये। दिनांक 4–5–13 को ही राजस्व निरीक्षक नरवर को सीमांकन हेतु पत्र जारी किया, परन्त सीमांकन की कार्यवाही हल्का पटवारी द्वारा संपादित की गई है। इसके अतिरिक्त सीमावर्ती कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना जारी किया जाना अभिलेख से परिलक्षित नहीं होती है। सीमांकन प्रकरण में संहिता की धारा 129 में निहित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। अतः तहसीलदार का आदेश विधिअनुकूल नहीं कहा जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार नरवर का आदेश दिनांक 20–6–14 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सीमांकन के पूर्व सीमावर्ती कृषकों को सूचना देने के उपरांत उनकी उपस्थिति में विधिवत प्रकिया का पालन कर सीमांकन कार्यवाही की जाये।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर